

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक:-
प्रेषक,

रा0खा0आ0 (विविध) 18/2022

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी
जामताड़ा।

विषय:-

राँची, दिनांक :-
वाद सं0-17/2022, मामले में आयोग द्वारा पारित आदेश के अनुपालन
प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-

आयोग का पत्रांक-432 दिनांक-09.05.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा वाद सं0-17/2022, श्री प्रवीण कुमार पंडित, ग्राम-खिजुरिया, पो0-टी0के0 ग्राम, पंचायत-फतेहपुर, जामताड़ा के मामले में दिनांक-28.03.2022 को पारित अंतिम आदेश की प्रति अनुपालन हेतु आपको प्रेषित की गई थी। इस सम्बन्ध में कृत कार्रवाई की सूचना आयोग को अब तक अप्राप्त है, जो खेदपूर्ण है।

अनुरोध है कि विषयांकित मामले में कृत कार्रवाई/अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को दिनांक-18.07.2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

राँची, दिनांक- 08.07.2022

ज्ञापांक- रा0खा0आ0 (विविध) 18/2022- 603

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची को निदेशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।